मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255) भोपाल, गुरूवार, दिनांक 15 नवम्बर 1973—कार्तिक 24, शके 1895

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 1973

क्र. एफ. 30281—1—(बी)—238—73—इक्कीस—अ (प्रा.)— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 6 नवम्बर 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बा. रा. दुबे, उपसचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 46 सन् 1973

मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका—प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972

विषय—सूची

धाराएं

पहला भाग—प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
2. परिभाषाएं

धाराएं

दूसरा भाग—मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद्

3. उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् का निगमन
4. परिषद का गठन
5. परिषद् का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
6. निर्वाचन आदि की रीति
7. परिषद् के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि
8. आकस्मिक रिक्तियां
9. सदस्यों को अनुपस्थिति की इजाजत
10. परिषद् के अधिवेशन
11. रिक्ति से कार्यवाहियों आदि का अविधिवत् न होना
12. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भत्ते की देनगी।

तीसरा भाग—रजिस्ट्रीकरण

13. रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारी
14. राज्य रजिस्टर
15. वे व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत किये जा सकेंगे और रजिस्ट्रीकरण फीस
16. रजिस्ट्रीकरण के विशेषाधिकार
17. राज्य रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि का प्रतिषेध करने या उसमें से नाम हटाने का निर्देश देने की परिषद् की शक्ति
18. परिषद् द्वारा राज्य रजिस्टर में परिवर्तन
19. जांचों की प्रक्रिया
20. परिषद् के विनिश्चय के विरूद्ध अपील
21. फीस का व्ययन
22. रजिस्ट्रीकरण के लिये पात्र या राज्य रजिस्टर में नामांकित समझे गये व्यक्तियों को छोड़कर व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों की सूची का रखा जाना
23. इस अधिनियम के उपबंधित अवस्था को छोड़कर व्यवसाय करने का प्रतिषेध

चौथा भाग—प्रशिक्षण संस्थाएं

24. प्रशिक्षण संस्थाएं
25. संस्थाओं को मान्यता देने से इन्कार करने के विरूद्ध अपील

पांचवां भाग—प्रकीर्ण

26. मृत्यु की सूचना पर रजिस्टर से नाम का हटाया जाना
27. प्रमाण पत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिये शास्ति
28. रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका—प्रसाविका, स्वास्थ्य परिवर्धन की उपाधि को विधि विरूद्ध अभिधारण करने के लिये शास्ति
29. अपराधों का प्रसंमान
30. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

31. राज्य शासन द्वारा नियंत्रण
32. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन
33. नियम बनाने की शक्ति
34. विनियम बनाने की शक्ति
35. धारा 3 के अधीन परिषद् की स्थापना पर होने वाले परिणाम
36. निरसन

क्रमांक 46 सन् 1973

मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972

(दिनांक 6 नवम्बर 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' (असाधारण) में दिनांक 15 नवम्बर 1973 को प्रथम बार प्रकाशित की गई) ,

मध्यप्रदेश में उपचारिकाओं (नर्सेज), प्रसाविकाओं (मिडवाइव्ज), सहायी उपचारिका–प्रसाविकाओं (आक्जीलियरी नर्स–मिडवाइव्ज) तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों (हेल्थ विजिटर्स) के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधियों का समेकन करने तथा राज्य के लिये उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् के गठन तथा उससे संबंधित विषयों के लिये उपलब्ध करने के हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :–

पहला भाग–प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उप–प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार–क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''परिषद'' से तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित मध्य प्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् से है;

(ख) ''उपचारिका'' में उपचारक (मेलनर्स) भी सम्मिलित है;

(ग) ''मान्यता प्राप्त अर्हता'' से ताप्तर्य इंडियन नर्सिंग काउन्सिल एक्ट, 1947 (क्रमांक 48 सन् 1947) की अनुसूची में सम्मिलित किन्हीं भी अर्हताओं से है;

(घ) ''राज्य रजिस्टर'' से तात्पर्य धारा 14 के अधीन रखे गये रजिस्टर से है और अभिव्यक्ति ''रजिस्ट्रीकृत'' तथा ''रजिस्ट्रीकरण'' का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा।

दूसरा भाग–मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद

उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद का निगमन.

3. (1) राज्य शासन, यथायोग्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, ऐसे दिनांक से, जो कि उसमें उल्लिखित किया जाये, एक उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् की स्थापना करेगा।

(2) परिषद्, मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् के नाम से एक निगम निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित एवं धारण करने और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने द्वारा धारण की गई किसी भी संपत्ति को अनतरित करने तथा संविदा करने और उसके गठन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी तथा वह अपने नियमित नाम से वाद चला सकेगी या उसी नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

परिषद का

4. (1) परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) स्वास्थ्य सेवा संचालक, मध्यप्रदेश–पदेन;

(ख) परिषद् द्वारा धारा 24 के अधीन अनुमोदित तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के दो अधीक्षक जो अन्य राज्य शासन द्वारा बारी–बारी नाम निर्देशित किये गये हों;

(ग) सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवा (उपचर्या) तथा उक्त पद के रिक्त होने की दशा में अधीक्षक, उपचर्या सेवाएं–पदेन;

(घ) उपचर्या विद्यालय, इन्दौर का प्राचार्य (प्रिंसीपल)–पदेन;

(ड़) चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सालयों से राज्य शासन द्वारा बारी–बारी से नाम निर्देशित की गई दो प्रधान परिचारिकाएं (मेट्रन्स);

(च) मध्यप्रदेश के उपचर्या विद्यालयों की दो शिक्षक–महोपचारिकाएं (सिस्टर ट्यूटर्स) जो राज्य शासन द्वारा बारी–बारी से नाम निर्देशित की गई हो;

(छ) मध्यप्रदेश में निवास करने वाली रजिस्ट्रीकृत उपचारिकाओं में से प्रशिक्षित उपचारिका संघ की मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एक उपचारिका;

(ज) उन रजिस्ट्रीकृत उपचारिकाओं को, जो कि मध्यप्रदेश बोर्ड आफ ट्रेण्ड नर्सेज एसोसियेशन की सदस्या हों, छोड़कर अन्य रजिस्ट्रीकृत उपचारिकाओं द्वारा अपने में से निर्वाचित तीन उपचारिका जिनमें से एक उपचारक (मेल नर्स) होगा;

(झ) रजिस्ट्रीकृत प्रसानिकायों द्वारा अपने में से निर्वाचित एक प्रसाविका;

(ळ) रजिस्ट्रीकृत सहायी उपचारिका–प्रसाविकाओं द्वारा अपने में से निर्वाचित एक सहायी उपचारिका–प्रसाविका;

(ट) रजिस्ट्रीकृत स्वास्थ्य परिदर्शकों द्वारा अपने में से निर्वाचित एक स्वास्थ्य परिदर्शक;

(ठ) रेड–क्रास, संस्था की मध्यप्रदेश शाखा द्वारा मध्यप्रदेश में निवास करने वाले अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य;

(ड) मिड–इंडिया बोर्ड आफ एक्जामिनर्स द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्यः परन्तु कोई भी व्यक्ति, एक ही समय में सदस्य के रूप में एक से अधिक हैसियत में सेवा नहीं करेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जायगा।

परिषद का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष.

5. (1) स्वास्थ्य सेवा संचालक, मध्यप्रदेश, परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(2) परिषद् का उपाध्यक्ष परिषद् के सदस्यों द्वारा उनमें से ही निर्वाचित किया जायगा;

निर्वाचन आदि की रीति.

6. (1) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ) तथा (ट) के अधीन निर्वाचन परिषद् द्वारा संचालित किया जायगा तथा धारा 4 की उप धारा (1) के खण्ड (छ), (ठ) तथा (ड) के अधीन निर्वाचन उनमें निर्दिष्ट निकायों द्वारा विहित रीति में संचालित किया जायगा।

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (छ), (ठ) तथा (ड) में निर्दिष्ट निकायों में से कोई भी निकाय ऐसे दिनांक तक, जो कि विहित किया जाय, किसी व्यक्ति को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित न करे, तो राज्य शासन, लिखित आदेश द्वारा रिक्त स्थान पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो कि उस पर निर्वाचन के लिये अर्ह हो; जो इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति परिषद् का सदस्य समझा जायगा मानों कि वह उक्त निकाय द्वारा सम्यक् रूपेण निर्वाचित किया गया हो।

(3) जहां परिषद् के किसी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो वहां वह ऐसी कालावधि के भीतर, जो कि विहित की जाय, राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगां

7. (1) उपाध्यक्ष एक कलेण्डर वर्ष के लिये पद धारण करेगा। — परिषद के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.

(2) पदेन सदस्य के अतिरिक्त परिषद् का प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जिसको कि उसका निर्वाचन या नाम निर्देशन धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो, तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा; परन्तु ऐसा सदस्य अपनी पदावधि समाप्त होने पर भी उस समय तक पद धारण किये रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन या वरण, जैसी भी की दशा हो, राजपत्र में सम्यकरूपेण अधिसूचित न कर दिया जाय।

8. (1) कोई भी निर्वाचित या नामनिर्दिश्ट सदस्य किसी भी समय अपने आकस्मिक रिक्तियां, हस्ताक्षरयुक्त लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता त्याग सकेगा, और तदुपरि उसका स्थान रिक्त जो जायगा। — आकस्मिक रिक्तियां

(2) किसी भी निर्वाचन या नामनिर्दिष्ट सदस्य के संबंध में यह समझा जायगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है, यदि–

(एक) वह परिषद् के तीन लगातार साधारण अधिवेशनों से ऐसे प्रति हेतु के बिना अनुपस्थित रहे जो कि परिषद् की राय में पर्याप्त हो; या

(दो) वह लगातार छः मास से अधिक कालावधि के लिये भारत से बाहर रहे; या

(तीन) उसका नाम धारा 17 के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया जाय।

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न, विवाद का शंका उत्पन्न हो जाय कि क्या उपधारा (2) के अधीन कोई रिक्ति हुई है, तो राज्य शासन द्वारा उसका विनिश्चय किया जायगा और उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

(4) परिषद् में होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायगी और रिक्ति भरने के लिये निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अव्यतीत अवधि के लिये पद धारण करेगा।

9. परिषद् किसी भी सदस्य को परिषद् के अधिवेशनों से छः मास से अधिक किसी कालावधि तक अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकेगी। — सदस्यों को अपुस्थिती की इजाजत.

10. (1) परिषद् प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जो कि परिषद् द्वारा नियत किया जाय, अधिवेशन करेगी। — परिषद के अधिवेषन

(2) परिषद् के पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी और परिषद् के समस्त कार्य उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे। मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक पत्र प्राप्तहोगा।

11. परिषद् का कोई भी कार्य केवल इस कारण अविधिवत् नहीं होगा कि– — रिक्ति से कार्य–वाहियों आदि का अविधिवत् न होना

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रूटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में मामले के गुणागुण पर प्रभाव से डालने वाली कोई अनियमितता है;

12. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को अधिवेशनों में हाजिर होने के लिये ऐसे भत्तों की देनगी की जायगी जिन्हें कि परिषद् विनियमों द्वारा अवधारित करें। — परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भत्ते की देनगी

तीसरा भाग– रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारी

13. (1) परिषद् एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी जो परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(2) परिषद् एक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करेगी जो परिषद् की निधियों पर व्यापक नियंत्रण रखेगा।

परन्तु कोषाध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, रजिस्ट्रार एक वर्ष से अनाधिक कालावधि तक कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा, यदि परिषद् द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाय।

(3) परिषद् ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगी जिन्हें कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

(4) रजिस्ट्रार तथा कोषाध्यक्ष के संबंध में अर्हताएं, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें तथा वेतनमान ऐसे होंगे जो कि विहित किये जायं और अन्य कर्मचारियों के संबंध में ऐसे होंगे जिन्हें कि परिषद् राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से अवधारित करें।

(5) परिषद् रजिस्ट्रार, कोषाध्यक्ष या किसी अन्य कर्मचारी से उसके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिये ऐसी प्रतिभूति की, जैसी कि परिषद् आवश्यक समझे, अपेक्षा करेगी तथा उसे लेगी।

(6) इस धारा के अधीन परिषद् के द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार, कोषाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के तात्पर्य के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

राज्य रजिस्टर

14. (1) परिषद् मध्यप्रदेश में निवास करने वाली–

(एक) उपचारिकाओं,

(दो) प्रसाविकाओं,

(तीन) सहायी उपचारिका–प्रसाविकाओं, और

(चार) स्वास्थ्य परिदर्शकों

का, जो धारा 15 के अधीन नामांकन के लिये पात्र हों, विहित रीति में एक रजिस्टर रखवायेगी, जो ''राज्य रजिस्टर'' के नाम से जाना जायगा।

(2) परिषद के रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा कि वह राज्य रजिस्टर को इस अधिनियम के तथा परिषद् द्वारा दिये गये किन्हीं भी आदेशों के उपबन्ध के अनुसार रखे और समय–समय पर रजिस्टर को विहित रीति में पुनरीक्षित करे तथा उसे राजपत्र में प्रकाशित करें।

(3) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 (क्रमांक 1. सन् 1872) के तात्पर्य के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जायगा और राजपत्र प्रकाशित की गई प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किया जा सकेगा।

वे व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत किये जा सकेंगे और रजिस्ट्रीकरण फीस

15. मान्यता प्राप्त अर्हता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे अर्हता का प्रमाण रजिस्ट्रार को देने पर तथा ऐसी फीस की, जो कि विहित की जाय, देनगी पर राज्य–रजिस्टर में नामांकन के लिए पात्र होगा, और धारा 14 में वर्णित भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न–भिन्न फीस विहित की जा सकेगी।

रजिस्ट्रीकरण के विषेषाधिकार.

16. (1) कतिपय मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति द्वारा उपचारिका प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में व्यवसाय किये जाने के विषय में इस अधिनियम में दी गई शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक

व्यक्ति, जिसका नाम राज्य–रजिस्टर में तत्समय दर्ज हो, अपनी अर्हताओं के अनुसार राज्य में यथास्थिति उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में व्यवसाय करने तथा ऐसा व्यवसाय करने के संबंध में ऐसी कोई फीस, जिसे पाने का वह हकदार हो, विधि के सम्यक् अनुक्रम में वसूल करने का हकदार होगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति किसी भी चिकित्सालय, उन्मत्तालय, रूग्णावास, औषधालय, प्रसूति गृह या शिशु–कल्याण–केन्द्र या किसी अन्य चिकित्सा या लोक स्वास्थ्य, संस्था में उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में किसी भी नियुक्ति को धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।

राज्य रजिस्टर में नाम की प्रविष्टी का प्रतिषेध करने या उसमें से नाम हटाने का निर्देष देने की परिषद की ष्षक्ति.

17 परिषद् रजिस्ट्रार द्वारा निर्देश किये जाने पर या अन्यथा राज्य– रजिस्टर में ऐसे किसी भी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि का प्रतिषेध कर सकेगी या उसमें से उसका नाम हटाय जाने का आदेश दे सकेगी–

(क) जो किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिये कारावास से दण्डित किया गया हो, जो परिषद् की राय में चरित्र संबंधी ऐसी त्रूटि को उपदर्शित करता हो जिससे कि रजिस्टर में उसका नामांकन या उसके नाम का बना रहना अवांछनीय हो जाय; या

(ख) जिसे परिषद् ने ऐसी जाचं के पश्चात्, जिसमें उसे स्वयं या समुपदेशी (कौंसिल) द्वारा सुने जाने का अवसर दिया गया हो ..... है, जो परिषद् के विवेक के बन्द कमरे में की जा सकेगी, अधिवेशन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से किसी व्यावसायिक मामले में गर्हित आचरण का दोषी पाया हो।

परिषद द्वारा राज्य रजिस्टर में परिवर्तन

18. (1) परिषद्, यदि वह ऐसा करने का विचार करे, तथा संबंधित व्यक्ति को सम्यक्, सूचना देने तथा उसकी आपत्तियों की, यदि कोई हो, जांच करने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगी कि राज्य–रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि, जिसके संबंध में परिषद् के समाधान योग्य यह सिद्ध कर दिया जाय कि वह कपटपूर्वक या अमुख रूप से की गई या बनाई गई है, रद्द या संशोधित कर दी जाय।

(2) परिषद् उन्हीं कारणों से, जिनसे कि धारा 17 के अधीन परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध किया जा सकेगा, यह निर्देश दे सकेगी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक का नाम राज्य–रजिस्टर से सर्वथा या किसी उल्लिखित कालावधि के लिये हटा दिया जाय।

(3) परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (2) के अधीन हटाया गया कोई भी नाम, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों और जिन्हें परिषद् अधिरोपित करना उचित समझे, अधीन रहते हुए पुनः स्थापित किया जाय।

जांचों की प्रक्रिया

19. धारा 15 या धारा 17 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये, परिषद् या धारा 33 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत कोई समिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (क्रमांक 1 सन् 1872) के तात्पर्य के अन्तर्गत न्यायालय समझी जायगी तथा पब्लिक सवेंन्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 (क्रमांक 37 सन् 1850) के अधीन नियुक्त किये गये आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी; और ऐसी जांचें, यावत्–शक्य, उक्त पब्लिकसर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 (क्रमांक 37 सन् 1850) की धारा 5 तथा धारा 7 से 20 तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जायेंगी।

20. (1) धारा 17 या 18 के अधीन परिषद् के प्रत्येक विनिश्चय विरूद्ध अपील राज्य शासन को प्रस्तुत होगी और उस पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा। परिषद के विनिष्चय के विरूद्ध अपील

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील संबंधित पक्षकार को ऐसे विनिश्चय की प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से तीन मास के भीतर की जायगी।

21. इस अधिनियम के अधीन प्राप्त समस्त जुर्माने तथा इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त धन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होंगे। जुर्माने का व्ययन.

22. परिषद् धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उल्लिखित किये गये दिनांक (जो इस धारा में इसके पश्चात् ''उल्लिखित दिनांक'' के नाम से निर्दिष्ट है) के ठीक पूर्व राज्य में उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका, स्वास्थ्य परिदर्शक या दाई के रूप में व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं है या जो धारा 35 के खण्ड (ग) के अधीन राज्य रजिस्टर में नामांकित किये गये, नहीं समझे जाते हों, एक सूची बनावायेगी। रजिस्ट्रीकरण के लिये पात्र या राज्य रजिस्टर में नामांकित समझे गये व्यक्तियों को छोड़कर व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों की सूची का रखा जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन आने वाला तथा उसमें निर्दिष्ट की गई सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक कोई भी व्यवसायी उल्लिखित दिनांक से छः मास के भीतर रजिस्ट्रार को विहित प्रारूप में, विहित फीस के साथ, एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, उसमें उल्लिखित किये जाने वाले कारणों से, पूर्वोक्त कालावधि में ऐसी और कालावधि तक की, जो तीन मास से अधिक न होगी, वृद्धि कर सकेगा।

(3) परिषद् ऐसी जांच करने के पशचात् जैसी कि वह करना उचित समझे और इस बात को समाधान कर लेने के पश्चात् कि आवेदक, उल्लिखित दिनांक के ठीक पूर्व उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका, स्वास्थ्य परिदर्शक या दाई के रू‍प में व्यवसाय कर रहा था, आवेदक का नाम उस सूची में सम्मिलित कर लेगी।

(4) धारा 20 के उपबन्ध, उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा पारित किये गये किसी भी आदेश को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे धारा 15 या धारा 17 के अधीन पारित आदेश को लागू होते है।

(5) वह व्यक्ति, जिसका नाम इस धारा के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित है, धारा 16 के उल्लिखित किये गये रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के समस्त विशेषाधिकारों का हकदार होगा।

(6) रजिस्ट्रार उपधारा (2) में उल्लिखित कालावधि या ऐसी और कालावधि को, जो उसके अधीन बढ़ाई जाये, समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र व्यक्तियों की उस सूची को, जो कि उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई हो, राजपत्र में प्रकाशित करेगा और ऐसी सूचना का प्रकाशन, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार, इस बात का निश्नायक साक्ष्य होगा कि उसमें सम्मिलित व्यक्ति यथास्थिति उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका, स्वास्थ्य परिदर्शक या दाई के रूप में व्यवसाय करने का पात्र है।

23. (1) इस अधिनियम में उपबन्धित के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति राज्य में उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका, स्वास्थ्य परिदर्शक या दाई के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा और न स्वयं को, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस रूप में अभ्यासतः या वैयक्तिक अभिलाभ के लिये व्यवसाय करने वाले के रूप बतलायेगा। इस अधिनियम में उपबंधित अवस्था को छोड़कर व्यवसाय करने का प्रतिषेध.

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबन्ध का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

चौथा भाग–प्रशिक्षण संस्थाएं

24. (1) ऐसी संस्थाएं, जो परिषद् द्वारा, उसके प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किये जान के पश्चात्, अनुमोदित तथा मान्य करायी गई हो, उपचारिकाओं, प्रसाविकाओं सहायी उपचारिका–प्रसाविकाओं या स्वास्थ्य परिदर्शकों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें परिषद् के अर्हतादायक प्रमाण–पत्र परीक्षा के लिए भेजने के लिए सक्षम होंगे; प्रषिक्षण संस्थाऐं

(2) परिषद् किसी भी ऐसी संस्था की मान्यता का, अपने प्रतिनिधि द्वारा उसका निरीक्षण किये जाने के पश्चात, प्रत्याहरण कर सकेगी, ऐसे प्रत्याहरण का आदेश लिखित में होना और निहित रीति में उसकी तामील की जायगी;

परन्तु संस्था के भारसाधक प्राधिकारियों की सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी भी मान्यता का प्रत्याहरण नहीं किया जायगा।

(3) कोई भी विद्यालय, चिकित्सालय या अन्य संस्था, जो इस धारा के अधीन अनुमोदित तथा मान्यता प्राप्त न हो, किसी भी व्यक्ति को, जब तक कि उसका नाम इस अधिनियम के अधीन सूची में रजिस्ट्रीकृत या प्रविष्ट न किया गया हो, प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी या किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी ऐसेदस्तावेज में प्रविष्ट नहीं करेगी जो यह प्रकट करने के लिए अभिप्रेत हो कि एसा व्यक्ति उसके किसी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के कारण या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के कारण उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका– प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शन के रूप में व्यवसाय करने के लिये अर्ह है।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोष सिद्धि पर, जुर्माने से, जो 500 रूपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायगा।

(5) जब इस धारा के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी या अन्य निगम–निकाय या व्यक्तियों की संस्था (चाहे निगमित हो या न हो) हो, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के लिये जाने के समय संचालक, प्रबंधक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य पदाधिकारी या उसकेप्रबन्ध से संबंधित व्यक्ति हो, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जायगा।

25. यह अनुमोदित करने तथा मान्य करने से कि कोई संस्था उपचारिकाओं, या सहायी उपचारिका–प्रसाविकाओं या स्वास्थ्य परिदर्शकों को प्रशिक्षित करने के लिय सक्षम है, परिषद् द्वारा इन्कार कर दिये जाने से व्ययित हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसे इन्कार के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसे इन्कार के आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को अपील कर सकेगा। किसी भी ऐसी अपील पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा। संस्थाओं को मान्यता देने से इंकार करने के विरूद्ध अपील

पांचवां भाग–प्रकीर्ण

26. जन्म तथा मृत्यु का, प्रत्येक रजिस्ट्रार, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जिसके नाम के संबंध में वह जानता है कि वह किसी रजिस्टर में प्रविष्ट है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह किसी रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है तो वह ऐसी मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, जो कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और जिसमें मृत्यु के समय तथा स्थान का विवरण होगा, परिषद् को डाक द्वारा तत्काल प्रेषित करेगा; और तदुपरि ऐसे व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जायगा, मृत्यु की सूचना पर रजिस्टर से नाम का हटाया जाना.

27. कोई भी व्यक्ति जो– प्रमाणपत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिये षास्ति

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसको या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को बेईमानी से उपयोग करता है;

(ख) किसी मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाण पत्र या व्यपदेशन को, चाहे वह लिखित हो या अन्यथा, करके या पेश करके अथवा कराकर या पेश कराकर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रखे गये रजिस्टर या जारी किये गये प्रमाणपत्र से संबंधित किसी विषय में कोई भी मिथ्या व्यपदेशन मनःपूर्वक करता है या करवाता है, दोषसिद्धि पर, प्रथम बार के अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, या साधारण कारवास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

28. कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका, स्वास्थ्य परिदर्शक न होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक का नाम या उपाधि, ग्रहण करता है या उपयोग में लाया है, या किसी नाम, उपाधि, वर्णन, विहित वर्दी, वस्तु या साईनबोर्ड का इस आशय से उपयोग करता है जिससे यह विश्वास किया जा सके या यह जानते हुए उपयोग करता है कि यह विश्वास किये जाने की संभावना है कि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक है, दोषसिद्धि पर, प्रथम बार के अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रूपये तक हो सकता है और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है, या साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है, या दोनों से दंडित किया जायगा। रजिस्ट्रीकृत उपचारिका प्रसाविका सहायी उपचारिका–प्रसाविका स्वास्थ्य परदिर्षककी उपाधि की विधि विरूद्ध अभिधारण करने के लिये ष षास्ति

29. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो कि इस संबंध में परिषद् द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित में किये गये परिवाद पर ही प्रसंज्ञान करेगा अन्यथा नहीं। अपराधों का प्रसंज्ञान

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराधि का परीक्षण नहीं करेगा।

30. राज्य शासन, परिषद् या उसकी किसी समिति के विरूद्ध या शासन अथवा परिषद के किसी पदाधिकारी या सेवक के विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो, या जिसका सद्भावनापूर्वक किया जाना अभिप्रेत रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य वैधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी। सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

31. यदि किसी भी समय राज्य शासन को यह प्रतीत हो कि परिषद् ने इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग भी किया है या उनका अतिरेक या दुरूपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, तो राज्य शासन, यदि वह ऐसी चूक, अतिरेक या दुरूपयोग को गंभीर प्रकार का समझे, उस चूक, अतिरेक या दुरूपयोग की विशिष्टियां परिषद को अधिसूचित कर सकेगा और यदि परिषद् ऐसी चूक, अतिरेक या दुरूपयोग का, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियत किया जाय प्रतिकार न करे तो राज्य शासन परिषद् का विघटन कर सकेगा और परिषद् की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग एवं पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा दो वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जिसे कि वह उचित समझे करा सकेगा और नवीन परिषद् को अस्तित्व में लाने के लिये, उपाय करेगा। राज्य षासन द्वारा नियंत्रण

32. परिषद् राज्य शासन को ऐसी रिपोर्ट, उसके कार्य वृत्तों की प्रतिलिपियां, उसके लेखे की संक्षिप्तियां तथा ऐसी अन्य जानकारी, जैसी कि राज्य शासन विहित करे, देगी। परिषद द्वारा दी जानेवाली जानकारी और उसका प्रकाषन

33. (1) राज्य शासन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा। नियम बनाने की षक्ति

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

34. परिषद् राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से और धारा 33 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगी और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेगा :– विनियम बनाने की षक्ति

(क) परिषद् की संपत्ति का प्रबंध तथा उसके लेखाओं का रखा जाना और उनकी लेखा परीक्षा;

(ख) परिषद् के अधिवेशनों का आहूत किया जाना तथा उनका किया जाना, समय तथा स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किये जाने हों, उनमें किये जाने वाले कामकाज का संचालन;

(ग) परिषद् के सदस्यों के त्यागपत्र;

(घ) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य;

(ड.) समिति की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समितियों के अधिवेशनों का आहूत किया जाना तथा उन अधिवेशनों का किया जाना और ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन;

(च) परिषद् के रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारियों एवं सेवकों की पदावधि तथा उनकी शक्तियां एवं कर्तव्य तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(छ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र में बतलाई जाने वाली विशिष्टयां तथा उसमें दिया जाने वाला अर्हताओं का प्रमाण;

(ज) प्रारूप जिसमें राज्य–रजिस्टर रखा जायगा;

(झ) कोई भी विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन, विनियमों द्वारा, उपबन्ध किया जा सकेगा।

35. धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में परिषद् की स्थापना के लिये उल्लिखित किये गये दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :– धारा 3 के अधीन परिषद की स्थापना पर होने वाले परिणाम.

(क) महाकौशल नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउन्सिल, मध्यभारत परिचारिका प्रसूति विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य–संदशक परिषद तथा मध्यभारत दाई रजिस्ट्रीकरण पार्षद् विघटित हो जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट काउंसिल/परिषद्/पर्षद् की समस्त आस्तियां तथा दायित्व धारा 3 के अधीन स्थापित परिषद् की आस्तियां तथा दायित्व होंगे तथा समझे जायेगे ।

(ग) ऐसी समस्त रजिस्ट्रीकृत उपचारिकायें, प्रसाविकयें, सहायी उपचारिका, प्रसाविकायें स्वास्थ्य परिदर्शक तथा दाइयां जो धारा 36 के अधीन निरसित किसी भी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों और इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर मान्यता प्राप्त अर्हताऐं रखती हों इस अधिनियम के अधीन राज्य रजिस्टर में यथास्थित रजिस्ट्रीकृत उपचारिकाऐं प्रसाविका सहायी उपचारिका प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में नामंकित की गई समझी जायेगी ।

(घ) पूवोक्त दिनांक के ठीक पूर्व खण्ड (क) में निर्दिष्ट कौंसिल/परिषद् पर्षद् के या उसके नियंत्रण के अधीन समस्त कर्मचारी धारा 3 के अधीन स्थापित की गई परिषद् के कर्मचारी समझे जायेगें जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्य उपबंध न किये जायें वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे तथा उन्ही सेवा शर्तों के अधीन होंगे जिनके कि वे ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व हकदार या अधीन थे ।
परंतु राज्य शासन की पूर्व मंजूरी के अधीन रहते हुऐ परिषद् इस बात के लिये सक्षम होगी कि वह किसी भी ऐसे कर्मचारी की जो उसकी राय में परिषद् की जरूरत के लिये आवश्यक या उपयुक्त न हो उसे ऐसी सूचना देने के पश्चात् जो कि उसके नियोजन के निबंधनों के अनुसार दिया जाना अपेक्षित हो सेवा को समाप्त कर दे और ऐसा प्रत्येक कर्मचारी ऐसी छुट्टी, निवृति वेतन, भविष्य निधि (प्राविडेंट फंड) तथा उपदान (ग्रेच्युटी) कर हकदार होगा जिससे कि वह सेवा के लिये असमर्थ हो जाने पर लेने या प्राप्त करने का हकदार होता मानो कि उस कौंसिल/परिषद्/पर्षद् का, जिसके कि नियोजन में वह था, अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है ।

परन्तु यह और भी कि यदि ऐसे कर्मचारी के नियोजन के निबंधनों में ऐसी कोई अपेक्षा अन्तविष्ट न हो तो वह यदि उसने कौंसिल/परिषद्/पर्षद् में एक वर्ष से अधिक निरंतर सेवा की हो धारा 3 के अधीन स्थापित परिषद् से एक मास के अपने वर्तमान वेतन तथा भत्तों के बराबर राशि प्रतिकर के रूप में वसूल करने का हकदार होगा ।

(ड़) खण्ड (क) में निर्दिष्ट काउंसिल/परिषद्/पर्षद् के समस्त अभिलेख तथा कागद धारा 3 के अधीन स्थापित परिषद् में निहित होंगे तथा उसकी अंतरित हो जायेंगे

36. धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन परिषद् की स्थापना के लिये उल्लिखित किये गऐ दिनांक से, सी.पी. फण्ड बरार नर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1936 (मध्य प्रांत और बरार उपचारिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1936) (क्रमांक 23 सन् 1936) तथा मध्यप्रदेश स्टेट्यूटरी बाडीज (रीजनल कान्स्टीट्यूशन) एक्ट, 1956. निरसन

ख) मध्यप्रदेश परिनियत निकाय (प्रादेशिक गठन) अधिनियम, 1956, (क्रमांक 17 सन् 1956), जहां तक कि वह उक्त एक्ट से संबंधित हो, मध्यभारत दाई रजिस्ट्रीकरण विधान, 1953 (क्रमांक 22 सन् 1953) तथा मध्यभारत परिचारिका, प्रसूति विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य संदर्शक रजिस्टरांकन विधान, 1955 (क्रमांक 2 सन् 1955) निरस्त हो जायेंगे।

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 1973

क्र. एफ. 1 (बी)–238–73–इक्कीस–अ (प्रा.),– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 46, सन् 1973) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशनुसार,
बा.रा.दुबे, सचिव